3.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 में अपील सेवा केन्द्र बैनपुरा पेश हुई अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री नीरज मुख्तार ने वकालतनामा पेश किया जो मुल

टिप्पणी (क्रमिक)

वाद में शामिल किया गया। मूल वाद बिड्डा होकर
खारिज हो चुका है इसलिये T.J. ना० पक्षकार अब
कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः मूल वाद के
परिपेक्ष में T.J. ना० पत्र भी खारिज किया गया।
इस बाबत सम्बन्धित को सरनावे तहरीर जारी
हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर में
कम हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner